

## प्ररूप - एक

कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोन्टा जिला सुकमा छ.ग.  
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अश्रयित है अर्थात् :-

जिला / अनुभाग	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा नं.	रकबा	
सुकमा / कोन्टा	कोन्टा	कोन्टा	152/1	0.405 हेक्टेयर मे से 0.101 हेक्टेयर	कोन्टा - मोटू (उड़िसा) के शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य के पहुँच मार्ग हेतु लोक प्रयोजन बाबत भू अर्जन
			152/2	0.505 हेक्टेयर मे से 0.101 हेक्टेयर	
			150/2	0.273 हेक्टेयर मे से 0.060 हेक्टेयर	
			98/1	1.096 हेक्टेयर मे से 0.032 हेक्टेयर	
			98/2	0.607 हेक्टेयर मे से 0.036 हेक्टेयर	
			05 खसरा नं.	2.886 हेक्टेयर मे से 0.330 हेक्टेयर भूमि	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनोंक 09.09.2019 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ढोण्डरा में नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण :- कोन्टा से मोटूघाट (ओड़िशा राज्यमार्ग) के कि.मी.1/8-10 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य के पहुँच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण।

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :-

05 परिवार  
निरंक।

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :-

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या :- कुल पाँच कृषकों की कुल भूमि 0.330 हेक्टेयर भूमि।

(पाँच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक।

(छ) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?

:- अर्जन न्यूनतम है।

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?

:- हाँ

(आठ) परियोजना की कुल लागत

:- 15,560,000.00

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ :- कोन्टा (छ.ग.) से मोटूघाट (ओड़िशा राज्यमार्ग) के कि.मी.1/8-10 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्मित होने से छत्तीसगढ़ और ओड़िशा राज्य परस्पर सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ से दोनों राज्यों का आवागमन की दूरी कम तो होगी ही साथ ही दोनों राज्यों को व्यापार लाभ भी होगा।

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय :-

:- निरंक।

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



-5 AUG 2019

भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.) कोन्टा